न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/65/2016	03–10–2016	10–11–2020

01. बल्लाराम पुत्र हरसहाय जाति अहीर निवीस ग्राम भिवाड़ा की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 —अपीलांट

बनाम

02. तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर। —रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 21.09.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 308/2016

उपस्थितः—
01—श्री जनार्दन शर्मा —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 21.09.2016 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम भिवाडा की सरकारी गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 545 रकबा 0.32 है0 में से 0.02 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम भिवाडा की सरकारी गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 545 रकबा 0.32 है0 में से 0.02 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 25.08.16 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने 3 माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट्स को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 21.09.2016 अपास्त फरमाया जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में पेश शपथ—पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 03.10.2016 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलांट तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है तो सजा के दण्ड से मुक्त करें और अगर अपीलांट द्वारा किया गया अतिक्रमण यथावत हो तो सजा के दण्ड को यथावत रखा जावें तथा अपीलांट को आरोपित पैनल्टी से मुक्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10—11—2020 को अद्योहस्तांक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)

न्या0 अति0 जि0 कलै0 एवं अति0 जि0 मजि0 प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार